न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना संख्या:— 321/2019

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

1. रामुराम पुत्र श्री लालुराम
2. कोजाराम पुत्र श्री लालुराम
   जाति नाई निवासी जुड़
   तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

तहसीलदार तिंवरी

उपस्थित—

प्रार्थी :—अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा।

अप्रार्थी :— सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

—:निर्णय:—

दिनांक 20/01/2020

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है:— प्रार्थीगण व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 394/1 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 455 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 502 रकबा 4 बीघा ग्राम जुड़ तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी संख्या 1 रामूराम का नाम भूलवश कचराराम व प्रार्थी संख्या 2 कोजाराम का नाम भूलवश महेन्द्र दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी संख्या 1 के अन्य सभी दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि रामूराम पुत्र लालूराम के नाम से बने हुए हैं इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 के भी आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि कोजाराम पुत्र लालूराम के नाम से बने हुए है। उक्त सभी दस्तावेजों की प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है तथा सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थीगण को अनेको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण के नाम में एकरूपता नहीं [illegible] वजह से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने [illegible] का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थना प[illegible] है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख[illegible] नम्बर 394/1 रकबा [illegible] 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 455 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 502 रकबा 4 बीघा ग्राम जुड तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:41:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

का नाम कचराराम व प्रार्थी संख्या 2 का नाम महेन्द्र दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर सही नाम प्रार्थी संख्या 1 का नाम रामूराम व प्रार्थी संख्या 2 का नाम कोजाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें भी प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम रामुराम पि. लालूराम. व प्रार्थी संख्या 2 का सही नाम कोजाराम पि. लालूराम बताया है तथा राजस्व रेकर्ड में सही नाम दर्ज किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लिया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई. बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 394/1 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 455 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 502 रकबा 4 बीघा ग्राम जुड़ तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 1 का नाम कचराराम के स्थान पर रामूराम व प्रार्थी संख्या 2 का नाम महेन्द्र के स्थान पर कोजाराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 20/01/2020 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:41:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner